न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 19 आर 15/08–09

मालती देवी वगैरह अपीलकर्ता

बनाम

मंगरा उरॉव प्रतिवादी

आदेश

14

10.12.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 126/02–03 में श्री देवनीस किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 4.10.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
मधुकम	168	566	7 कट्ठा 3छटॉक

अपील आवेदन मे कहा गया है कि अपीलकर्ता के पूर्वजो ने विवाति जमीन सादा बंदोबस्ती द्वारा 1945 में प्राप्त किया था तथा उसी समय से मकान बनाकर दखलकार चले आ रहे हैं। विवाति जमीन पर अपीलकर्ता का मकान 40–50 साल पुराना है एवं वर्तमान में विवादित जमीन की प्रकृति बदल चुकी है। अपील आवेदन में दावा किया गया है कि यह मामला कालबाधित है। यह भी कहा गया है कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम के लागू होने के काफी पहले से ही जमीन अपीलकर्ता के दखल मे है। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के द्वितीय परन्तुक के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान को तैयार हैं।

प्रतिवादी के जवाब में कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में भुँइहरी दर्ज है और प्रतिवादी खतियानी रैयत के वारिस हैं। विवादित जमीन 1969 के पुर्व ही हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रतिवादी विवादित जमीन की क्षतिपूर्ति लेने को तैयार हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस मे उपर वर्णित तथ्यों का ही उल्लेख किया।

प्रस्तुत अपील वाद के सभी तथ्यों पर विचारोपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता द्वारा 40–50 बर्षों से जमीन पर संरचना होने का दावा प्रस्तुत किया गया है एवं इसकी सम्पुष्टि प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा भी किया गया है। यह भी दावा किया गया है कि जमीन की प्रकृति बदल चुकी है। अतः यह जॉच करना आवश्यक है कि विवादित जमीन की वर्तमान प्रकृति क्या है और इसपर मकान का निर्माण किस अवधि में किया गया है। साक्ष्यों से अगर यह प्रमाणित होता है कि संरचना का निर्माण 1969 के पुर्व किया गया है तो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के संगत धाराओं के अंतर्गत विचार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपील स्वीकृत किया जाता है एवं वाद पुर्नसुनवाई हेतु निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है।

दिनांकः– 10.12.2008

लेखापित वो संशाधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।